न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

मिसल नम्बर – 240/2023 तारीख – रजु 14.06.2023

उनवान

1. बरदी देवी पत्नी नन्दा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
2. मुकेश पुत्र नन्दा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
3. मडी पत्नी रामचन्द्रा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
4. मोतीलाल पुत्र नन्दा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
5. रामकरण पुत्र माधू जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
6. रामदयाल पुत्र रामचन्द्रा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
7. हीरा पुत्र रामचन्द्रा जाति बैरवा साकिन पन्द्राहेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।

– प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील–टोडारायसिंह

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक : 01.04.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 3 रकबा 2.29 है0, /2365 रकबा 1.27 है0, कुल किता– 2 कुल रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम पन्द्राहेड़ा तह. टोडारायसिंह में स्थित है। प्रार्थी ी उक्त आराजी के पूर्व में मेड पडी हुई थी, जो वर्तमान में खुर्द–बुर्द हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो ुके है। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी ं घुसकर कब्जा करना चाहते है, जिससे आए दिन लडाई–झगडे होते रहते है। मौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर ाकते है। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुश्तकील गुटाम कायम कर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने त्थरगढी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना–पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगढी हेतु न्यायालय ाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं. 3 रकबा 2.29 है0, 3/2365 रकबा 1.27 है0, कुल किता– 2 कुल रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम पन्द्राहेडा तह. टोडारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाई जाये।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया है। उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त प्रार्थीगण का है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। ना ही कोई वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी नम्बर 01 फॉर्मल पक्षकार है। प्रार्थना पत्र में यह [illegible] सीमा संबंधी विवाद है। पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने के उपरान्त उनको सुना जाकर पत[illegible]श पारित किये जाने उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। [illegible] बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी के [illegible] दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी [illegible] आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदा[illegible] भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा [illegible] पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। जहां तक तहसीलदार [illegible] जवाब में लिये गये उज्र का प्र[illegible] पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने के उपरान्त उन्हें सुना जाकर आदेश पारित किये जावें। इस संबंध मे पत्थरगढी करवाते समय आराजी के संबंधित खातेदारान् व पडौसी खातेदारान् की मौजूदगी में ही पत्थरगढी करवाई जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थियान स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 3 रकबा 2.29 है0, 3/2365 रकबा 1.27 है0, कुल किता– 2 कुल रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम पन्द्राहेडा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायें। पालनार्थ तहसीलदार, टोडारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/2024

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner